न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 122/2021

प्रार्थीगण:–		बनाम		अप्रार्थी:–
1.	भोपाजी पारसमल पुत्र भैराराम जाति गुर्जर निवासी मालपुरिया कलां, तहसील सोजत, जिला पाली राज0।		1.	सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:–

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

दिनांक – 14.02.2022

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम मालपुरिया कलां, तहसील सोजत के खाता संख्या 26 के खसरा नम्बर 405 रकबा 1.7400 हैक्टर, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.9700 हैक्टर, खसरा नम्बर 407 रकबा 1.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 496 रकबा 1.0000 हैक्टर, खसरा नम्बर 497 रकबा 1.6000 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 6.2500 हैक्टर की कृषि भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा खातेदारी हक हकूक का आता है। तथा वर्तमान खतौनी के खाता नंबर 117 के खसरा नंबर 37 रकबा 0.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.5500 हैक्टर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा नम्बर 392 रकबा 0. 1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 398 रकबा 1.3700 हैक्टर, खसरा नम्बर 401 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 402 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 480 रकबा 0.3800 हैक्टर, खसरा नम्बर 492 रकबा 1.2400 हैक्टर कुल खसरा 10 कुल रकबा 5.2700 हैक्टर की भुमि आयी हुई स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/12 हक हिस्सा, खातेदार कब्जा काश्त का आता है। उक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना प्रार्थी के सही एवं वास्तविक नाम के दस्तावेज का अवलोकन किये व सद्भाविक भूलवश प्रार्थी के दस्तावेजी व सही वास्तविक नाम दर्ज नहीं कर बचपन का नाम भुण्डाराम उर्फ पारसमल पुत्र भैराराम दर्ज कर दिया गया तथा प्रार्थी अपने व्यवसायिक कार्य से पिछले कई वर्षो से बाहर ही कार्यरत होने से राजस्व रेकर्ड के दस्तावेजों की जानकारी के अभाव में उक्त संशोधन हेतु पूर्व में कार्यवाही नहीं कर सका। जबकि प्रार्थी का वास्तविक दस्तावेजी नाम भोपाजी पारसमल है प्रार्थी को घर

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

ार समाज में बचपन में भुण्डाराम उर्फ पारसमल के नाम से ही पुकारते थे। लिए राजस्व कर्मचारियों के द्वारा राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज भुण्डाराम उर्फ ारसमल दर्ज करने में भूल की है। बल्कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम भोपाजी पारसमल ही है तथा प्रार्थी को गांव परिवार समाज में भोपाजी पारसमल के नाम से ही जाना व पहिचाना जाता है। बल्कि प्रार्थी के स्वयं मतदाता पहिचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार कार्ड, लाईट बिल में भी प्रार्थी का नाम भोपाजी पारसमल ही दर्ज है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम भोपाजी पारसमल ही है अर्थात् वादस्थ कृषि भूमि में भुण्डाराम उर्फ पारसमल एवं भोपाजी पारसमल प्रार्थी ही है तथा प्रार्थी को भोपाजी पारसमल के नाम से ही सम्बोधित किया जा रहा है। राजस्व कर्मचारियों राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम भोपाजी पारसमल के स्थान पर भुण्डाराम उर्फ पारसमल दर्ज करने की जानकारी पूर्व से नहीं थी, प्रार्थी व्यवसाय के सिलसिले में खाने की जानकारी नहीं होने से उक्त त्रुटि के सम्बन्ध में जानकारी पूर्व में नहीं हो पायी। अभी वर्तमान में उक्त वादस्थ कृषि भूमि की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर प्रार्थी को जानकारी में आया कि प्रार्थी भोपाजी पारसमल का घर में प्रचलित नाम सद्भाविक त्रुटिवश बिना दस्तावेज का अवलोकन किये भुण्डाराम उर्फ पारसमल दर्ज कर दिया। जिसे प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी भुण्डाराम उर्फ पारसमल के स्थान पर भोपाजी पारसमल दुरूस्त किये जाने से राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थी का नाम भोपाजी पारसमल के स्थान पर भुण्डाराम उर्फ पारसमल दर्ज हो जाने से प्रार्थी को कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि उक्त जमाबंदी में प्रार्थी का नाम भुण्डाराम उर्फ पारसमल के स्थान पर भोपाजी पारसमल दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती के सम्बन्ध में प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार सोजत के कार्यालय में भी निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा उक्त दुरूस्ती हाजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से दुरूस्त नहीं किया गया। इसलिए उक्त आशय का प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा मालपुरिया कलां में स्थित होने से तथा वादस्थ कृषि भूमि में हुई त्रुटि सैटलमेंट पश्चात की होने से यह प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम मालपुरिया कलां, तहसील सोजत के खाता संख्या 26 के खसरा नम्बर 405 रकबा 1.7400 हैक्टर, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.9700 हैक्टर, खसरा नम्बर 407 रकबा 1.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 496 रकबा 1.0000 हैक्टर, खसरा नम्बर 497 रकबा 1.6000 हैक्टर एवं

खाता नंबर 117 के खसरा नंबर 37 रकबा 0.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.5500 हैक्टर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा नम्बर 392 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 398 रकबा 1.3700 हैक्टर, खसरा नम्बर 401 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 402 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 480 रकबा 0.3800 हैक्टर, खसरा नम्बर 492 रकबा 1.2400 हैक्टर की कृषि भूमि में दर्ज खातेदार भुण्डाराम उर्फ पारसमल के स्थान पर भोपाजी पारसमल के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र पेश नही करना चाहने व बहस के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु निवेदन किया लिहाजा तहसीलदार सोजत का जबाब पेश करने का अवसर समाप्त कर जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है। हस्तगत प्रकरण के परिपेक्ष्य में तहसीलदार सोजत से मौका व रेकर्ड की वस्तुस्थित रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2021–22/496 दिनांक 10/02/2022 के जरिये रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय उप खण्ड अधिकारी महोदय, सोजत में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 122/2021 अनवान भोपाजी पारसमल बनाम तहसीलदार सोजत में संबंधित पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट के अनुसार मजमे आम में उपस्थित मौतबिरानों से वादी के बारे में पूछा तो उन्होने बताया कि वादी के बचपन का नाम भुण्डाराम तथा पारसमल दोनो एक ही है। वादी कई वर्षो से कर्नाटक में रहता है तथा वही काम धंधा करता हैं। तथा वाद में दायर खसरो व सहखातेदार वादी के भाईयों के नाम पढकर बताया तथा वाद में संलग्न पहचान दस्तावेज दिखाए तो बताया कि यही भुण्डाराम उर्फ पारसमल है। जिसके पहचान दस्तावेजों में वादी का नाम भोपाजी पारसमल दर्ज है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 26 के खसरा नम्बर 405 रकबा 1.7400 हैक्टर, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.9700 हैक्टर, खसरा नम्बर 407 रकबा 1.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 496 रकबा 1.0000 हैक्टर, खसरा नम्बर 497 रकबा 1.6000 हैक्टर एवं खाता नंबर 117 के खसरा नंबर 37 रकबा 0.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.5500 हैक्टर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा नम्बर 392 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 398 रकबा 1.3700 हैक्टर, खसरा नम्बर 401 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 402 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 480 रकबा 0.3800 हैक्टर, खसरा नम्बर 492 रकबा 1.2400 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार भुण्डाराम उर्फ पारसमल के स्थान पर भोपाजी पारसमल दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत शपथ पत्र मय उक्त दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज यथा अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली बिल, सम्वत् 2075–2078 की जमाबंदी की छायाप्रतियां से तथा तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट व मजमे आम बनाई गई मौका फर्द जिसमें प्रार्थी के सहखातेदाराने के भी सहमति/ स्वकारोक्ति स्वरूप हस्ताक्षर एवं अगुष्ट निशान है जिससे प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम भुण्डाराम उर्फ पारसमल नही होकर भोपाजी पारसमल पुत्र भेराराम होने की सपुष्टि होती है। वस्तुतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित सरहद मौजा मालपुरिया कलां, तहसील सोजत के खाता संख्या 26 के खसरा नम्बर 405 रकबा 1.7400 हैक्टर, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.9700 हैक्टर, खसरा नम्बर 407 रकबा 1.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 496 रकबा 1.0000 हैक्टर, खसरा नम्बर 497 रकबा 1.6000 हैक्टर एवं खाता नंबर 117 के खसरा नंबर 37 रकबा 0.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.5500 हैक्टर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा नम्बर 392 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 398 रकबा 1.3700 हैक्टर, खसरा नम्बर 401 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 402 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 480 रकबा 0.3800 हैक्टर, खसरा नम्बर 492 रकबा 1.2400 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज खातेदार भुण्डाराम उर्फ पारसमल के स्थान पर भोपाजी पारसमल दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन / विश्लेषण के आधार पर अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम मालपुरिया कलां, तहसील सोजत के खाता संख्या 26 के खसरा नम्बर 405 रकबा 1.7400 हैक्टर, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.9700 हैक्टर, खसरा नम्बर 407 रकबा 1.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 496 रकबा 1.0000 हैक्टर, खसरा नम्बर 497 रकबा 1.6000 हैक्टर एवं खाता नंबर 117 के खसरा नंबर 37 रकबा 0.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.5500 हैक्टर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.6200 हैक्टर,

खसरा नम्बर 392 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 398 रकबा 1.3700 हैक्टर, खसरा नम्बर 401 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 402 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 480 रकबा 0.3800 हैक्टर, खसरा नम्बर 492 रकबा 1.2400 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज खातेदार भुण्डाराम उर्फ पारसमल के वास्तविक व सही नाम की संपुष्टि हो जाने से भोपाजी पारसमल दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 14.2.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.